न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 02/2020

गिर्राज पुत्र भिक्कन राम जाति वैश्य निवासी पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :– 14.12.2020

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 754/1/0.36 तथा हाल खसरा नम्बर 1170/0.26 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 लगायत 2063 व 2074 लगायत 2074 संलग्न है तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर 754/1/0.36 को प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2003 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा रूजदार पुत्र शिमरू जाति मेव निवासी पापडा से खरीद किया था और खरीद के बाद आज तक निरन्तर रूप से प्रार्थी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और आज भी प्रार्थी मौके पर 0.36 एयर आराजी पर काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 754/1/0.36 है0 का अप्रार्थी द्वारा नवीन खसरा नम्बर 1170/0.26 एयर कर दिया गया है और राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी द्वारा सहवन से रकबा 0.36 एयर के स्थान पर 0.26 एयर दर्ज कर दिया गया है। जबकि नकल मिलान क्षेत्रफल में साविक खसरा नम्बर 754 मिन 0.36 व हाल खसरा नम्बर 1170/0.36 दर्ज किया गया है। परन्तु हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर के रकबा 0.36 के स्थान पर 0.26 रकबा दर्ज कर दिया गया है। जो कि कानून भूल है और प्रार्थी को रकबा के सहवन किये गये गलत इन्द्राज से काफी परेशानी आ रही है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत चल रहे इन्द्राज नवीन खसरा नम्बर 1170/0.26 के स्थान पर शुद्धिकरण कर नवीन खसरा नम्बर 1170/0.36 दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने उपस्थित होकर दिनांक 07.12.2020 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी मौके पर अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 170/0.36 है0 पर काबिज काश्त है। जो लिपिकीय भूल से रिकॉर्ड में 1170/0.26 दर्ज हो गया है। प्रार्थी 0.36 हैक्टर पर ही काबिज है। जिसे शुद्ध कर उसके स्थान पर खसरा नम्बर 1170/0.36 किया जाना उचित होगा।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । बंदोबस्त विभाग ने वर्तमान खसरा नम्बर 1170/0.26 बांके ग्राम पापडा को गत खसरा नम्बर 754/1/0.36 से बनाया है। जो कि वर्तमान में गत की तुलना में 0.10 है0 कम है। प्रार्थी द्वारा इस 0.10 है0 की कमी पूर्ति किस खसरा से की जानी है इसका प्रार्थना पत्र में वर्णन नहीं किया गया है । प्रत्येक राजस्व ग्राम की कुल भूमि पूर्व की तुलना में समान होती है। खसरा की भूमि में परिवर्तन होने पर कुल भूमि में परिवर्तन होगा। किसी अन्य खसरा में भूमि कम किये बिना शुद्वि किया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner